


न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, म0प्र0 राजस्व मण्डल.

गवालियर, सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

निगरानी २५३६/III-15



रो. २०।—

221  
२२-६-१५

श्यामवती वाई उर्फ श्यामवाई पत्नी भगवती प्रसाद रैदास पुत्री धनुकधारी, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम अमरकंट तह0 पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर म0प्र0

आवेदिका

बनाम

म0प्र0 राज्य

अनावेदक

निगरानी / पुर्णविलोकन / अभ्यावेदन विरुद्ध आदेश कलेक्टर अनुपपुर दिनांक 28/02/12 बावत् प्रकरण नि0 ७/2011-12 व. आदेश तारीख 11/06/07

श्री राज्य निगरानी  
प्राप्ति के  
लिए आज दिनांक २८/२/१२  
प्रस्तुत किया गया।

क्रमांक..... मान्यकर  
रजिस्टर्ड कोर्ट आज  
दिनांक को प्राप्त

निगरानी / पुर्णविलोकन / अभ्यावेदन के आधार निम्नलिखित हैं:-

केस्ट यह कि अधीनस्थ न्यायालय की अन्य के अतिरिक्त आंगे दर्ज समस्त राजस्व विवाही आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

2- यह कि अधी0 विचारण न्यायालय तहसीलदार वृत्त मंजरी तह0 पुष्पराजगढ़, के समक्ष आवेदिका सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया और जिन भूमियों का सीमांकन किया जाना था। वे भूमियाँ आवेदिका की पुस्तैनी भूमियाँ थीं यानी आवेदिका के पिता 2 भाई थे आवेदिका के पिता का नाम धनुकधारी व चाचा का नाम रेवादास था आवेदिका के पिता धनुकधारी दीमागी रूप से अस्वरथ थे, इस कारण धनुकधारी व

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र0नि.2536—तीन / 15

जिला—अनूपपुर

श्यामवती बाई / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
17.01.17	<ol style="list-style-type: none"><li>प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol>	 महस्य